

आखिरी जांच: 29 सितंबर 2026

Administrative Officer (Group A), Adjudicating Authority under the PMLA, on deputation

भर्ती करने वाला विभाग: Department of Revenue, Ministry of Finance

राजस्व विभाग PMLA न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद प्रतिनियुक्ति पर भरना चाहता है। केवल केंद्र सरकार के अधिकारी भेजे जा सकते हैं।

ज़रूरी तारीखें

आवेदन 17 नवंबर 2026 को बंद होंगे

पद: 1

उम्र की सीमा: 56 वर्ष से अधिक नहीं

जगह: नई दिल्ली

वेतन या पे लेवल: Level 11 (Rs 67,700 to Rs 2,08,700)

पदों के नाम

- Administrative Officer (Group A)

कौन आवेदन कर सकता है और शर्तें

- यह केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति का पद है।
- समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत, या लेवल 10 में 5 वर्ष या लेवल 8 में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।
- स्नातक डिग्री और प्रशासन, लेखा या बजट कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।
- अंतिम तिथि को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं।
- राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अंतिम तिथि 17 नवंबर 2026 दी गई है।

चयन की प्रक्रिया

- विभाग आवेदनों की जांच करता है। परिपत्र में लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है।

आवेदन कैसे करें

- पात्र अधिकारी संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन अपने कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के माध्यम से अवर सचिव (ES सेल), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नं. 14108, कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली 110001 को भेजें।
- परिपत्र और प्रोफार्मा dor.gov.in/vacancies से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

दस्तावेज़

- कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के माध्यम से भेजा गया आवेदन (निर्धारित प्रोफार्मा में)
- सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र
- पिछले पाँच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की प्रमाणित प्रतियाँ

आधिकारिक अधिसूचना: https://dor.gov.in/files/vacancy_documents/Administrative_officer_engilish.pdf

आधिकारिक PDF: https://dor.gov.in/files/vacancy_documents/Administrative_officer_engilish.pdf

आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें: <https://dor.gov.in/vacancies>

Labh Lo पेज: <https://labhlo.in/hi/jobs/dor/dor-administrative-officer-pmla-adjudicating-authority-2026/>



Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। तारीखें और नियम भर्ती करने वाला विभाग तय करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें।